न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील /17/2023

मोहन कुमार बसल उम्र 60 वर्ष पुत्र स्व0 श्री हजारीलाल जाति वैश्य निवासी चिकसाना हाल निवासी सी 40 प्रतीक एनक्लेव शान्ती नगर कमला नगर आगरा उ0प्र0

.....अपीलार्थी

बनाम

1–सुभाष चन्द (मुतक)
1/1 – मुन्नी देवी पत्नी सुभाषचन्द
1/2–शैलेन्द्र कुमार । पुत्रगण सुभाषचन्द जाति वैश्य निवासी चिकसाना तहसील
1/3–दीपू । व जिला भरतपुर
2–हरेशचन्द उम्र 65 वर्ष पुत्र महेशचन्द जाति वैश्य निवासी आदेश नगर का टीला बलकेश्वर आगरा यूपी
3–सतीशचन्द उम्र 60 वर्ष पुत्र महेशचन्द जाति वैश्य निवासी चिकसाना तहसील व जिला भरतपुर

.....रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरुद्ध आदेश न्यायालय सहायक भूअभिलेख अधिकारी एवं तहसीलदार भरतपुर दिनांक 12.8.93 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 533/93

उपस्थितः–
1–श्री महाराज सिंह डागुर अभिभाषक, अपीलान्ट,
2–श्री मनीष शर्मा अभिभाषक रेस्पो.

निर्णय दिनांक 15.05.2026

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 वखिलाफ आदेश न्यायालय सहायक भूअभिलेख अधिकारी एवं तहसीलदार भरतपुर दिनांक 12.8.93 को न्यायालय हाजा में दिनांक 19.6.2025 को पेश की गई है। तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.8.93 से एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत रकवा कमी पूर्ती के आदेश पारित किया गया है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. एवं तहत पत्रावली तलब की गई। रेस्पो.की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित आये। प्रभारी अधिकारी,भू.अभि. एलआर/रिकार्ड16/2023 6383 दिनांक 4.9.2025 से तहत पत्रावली की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। उपस्थित योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

जिला कलक्टर
भरतपुर

.....2

अपील /17/2023
मोहन कुमार बंसल बनाम सुभाषचन्द वगै.

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित कथनों का दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलार्थी की एवं कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नम्बर 214/2615/0.54 ग्रांम चिकसाना में है। अपीलाथी ने जिसे अपने पिता स्व0 हजारीलाल से विरासत में प्राप्त किया है। उक्त खसरा नम्बर को भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गत खसरा नम्बर 200/2-4, 201मिन/1-4 से निर्मित किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी की खातेदारी की के उक्त खसरा नम्बर में उत्तरवादी का कोई रकवा नहीं निकलता है अधीनरथ न्यायालय का आदेश कतई गलत विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। तहत न्यायालय ने अपीलान्ट को कोई सुनवाई का मौका नहीं दिया है। इकतरफा में आदेश पारितकिया हैं पटवारी की सरसरी रिर्पोट के आधार पर बिना कोई सुनवाई किये आदेश पारित किया है। जो खारिज योग्य है। योग्य अभिभाषक ने बताया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 8.6.2023 को हल्का पटवारी के बताने पर हुई, तब जाकर विभाग से नकल वगै. लेकर जानकारी दिनांक से अपील अन्दर म्याद पेश की गई है देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

योग्य अभिभाषक रेस्पो ने अपने कथनों जाहिर किया कि अपील म्याद बहार पेश की गई है। अपील 35 साल बाद की देरी से पेश की गई है प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम में गलत तथ्य के आधार पर पेश किया है। योग्य अभिभाषक रेस्पो का कथन है कि अपीलाधीन आदेश धारा 136 एलआर एक्ट महेशचन्द बनाम हजारी लाल रकवा कमी पूर्ती का था। जिस पर तहत न्यायालय ने हल्का पटवारी से रिपोर्ट लेकर विधिवत आदेश पारित किया है। अपील आपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। प्रथमतः अपील की म्याद बिन्दू पर विचार किया गया। देरी को माफ करने के लिये अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र धारा-5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम में कथन है कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी हल्का पटवारी द्वारा बतलाने पर दिनांक 8.6.23 को हुई, सम्बन्धित विभाग से दिनांक 14.6.23 को नकल मिलने पर बिना देरी के अपील पेश की गई है। अपीलान्ट ने सम्बन्धित हल्का पटवारी का कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। म्याद प्रार्थना पत्र में केवल यह लिख देना की हल्का पटवारी से जानकारी हुई और नकल वगै0 लेकर अपील जानकारी दिनांक से अपील अन्दर म्याद पेश की गई है। अपीलान्ट को 30 साल की असीमित देरी के लिये विस्तृत विवरण देने होगा। जैसा कि –

......3

जिला कलक्टर
भरतपुर

...प्रकरण संख्या

आर.आर.डी. 1991 पेज 415 में प्रतिपादित किया गया है :–

(B) Limitation Act, Section 5 –Applicants had miserably failed to to show sufficient casus which prevnted shem from filing application within prescribed period of limitation- Held appellate court had exersied its discretion judiciously and rightly in rejection application for condonation of delay. Para(6)

अपील असीमित देरी से 30 साल बाद म्याद बाहर पेश की गई है, धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं रहता है।

अपील की मैरिट पर विचार किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.8.93 का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत महेश चन्द पुत्र खचेरी लाल वैश्य के प्रार्थना पत्र पर रकवा कमी पूर्ती का आदेश सहायक भू अभिलेख अधिकारी भरतपुर द्वारा दिया गया है। सहायक अभिलेख अधिकारी भरतपुर के द्वारा धारा 136 एलआर एक्ट के तहत दिये गये आदेश की अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अस्तु अपील अपीलान्ट उक्तानुसार खारिज योग्य रहती है।

जहॉ तक प्रश्न पक्षकारान की खातेदारी रकवा की कमी पूर्ती का है। पक्षकारान नियमों के तहत सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अपने हक हकूक तय करा सकते है ।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनाक 15.05.2026 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर